संख्या-6/2022/बी-1- 218 /दस-2022

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 29 मार्च 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में माह मार्च, 2022 के वेतन का भुगतान।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (माह अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए लेखानुदान की माँगें विधानमण्डल द्वारा पारित हो चुकी है तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनाँक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनाँक 29 मार्च, 2022 द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव एवं सचिवालय के समस्त अनुभागों को लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में, राज्य कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के माह मार्च, 2022 के वेतन का भुगतान माह अप्रैल, 2022 में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in